# जिला समाप्त करने के विरोध में शाहपुरा पूर्णतया बंद रहा

## सब्जी मंडी, चाय की थड़ी, निजी विद्यालय सहित मेडिकल की दुकानें भी पूर्णतया बंद रही

शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित महापड़ाव में भारी जनसमूह उमड़ा।

- जनता ने जिला बचाओ संघर्ष समिति को संपूर्ण शाहपुरा बंद कर समर्थन दिया

**शाहपुरा/भीलवाड़ा,** (निसं)। अभिभाषण संस्था शाहपुरा के बैनर तले जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में संपूर्ण शाहपुरा पूर्णतया बंद सफल रहा। 28 दिसंबर 2024 को सरकार द्वारा शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में 28 जनवरी 2025 को ब्लैक डे मनाया गया, जिसमें शाहपुरा कोरोना के बाद पूर्णतया ऐतिहासिक रूप से बंद सफल रहा। शाहपुरा में व्यापारियों, सब्जी मंडी, चाय की थड़ी, निजी विद्यालय सहित मेडिकल की दुकानें भी पूर्णतया बंद रही और जनता ने जिला बचाओ संघर्ष समिति को संपूर्ण शाहपुरा बंद कर समर्थन दिया। वहीं महलों के चौक में आम सभा में शाहपुरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरवासी, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हजारों की संख्या में भाग लिया।

संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गालाल राजोरा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक शाहपुरा जिला नहीं बन जाता, तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। संयोजक रामप्रसाद जाट ने 15 दिन में शाहपुरा को जिला का दर्जा वापस नहीं देने पर सरकार के विरुद्ध नेशनल हाईवे चक्का जाम कर महापड़ाव कर उग्र आंदोलन का ऐलान किया। आम सभा को किसान केसरी संघ के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ओझा, भारत विकास परिषद के जयदेव जोशी, अधिवक्ता अनिल शर्मा, नमन ओझा, सामाजिक कार्यकर्ता अर्पित कसेरा, अविनाश शर्मा, मुस्लिम समाज से एडवोकेट ताज मोहम्मद ने संबोधित किया। कवि दिनेश बंटी ने कविता के माध्यम से शहीद से कौन बड़ा कविता सुनाई और उर्मिला कुमार ने देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों प्रस्तुत किया तथा आभार अभिभाषक संस्था के सहसचिव एडवोकेट कमलेश मुंडेतिया ने व्यक्त किया। संचालन एडवोकेट राम प्रसाद जाट ने किया।

आम सभा के बाद जिला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गालाल राजोरा के नेतृत्व में आमसभा में उपस्थित हजारों की संख्या में आमजन ने महलों के चौक से विशाल जन आक्रोश रैली में नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी शाहपुरा को शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग का ज्ञापन सौंपा। जिला बचाओ संघर्ष समिति के महासचिव एवं अभिभाषक संस्था के सह सचिव कमलेश मुंडेतिया ने बताया कि शाहपुरा की जनता ने शाहपुरा जिला समाप्त होने पर 28 जनवरी को ब्लैक डे मनाया और आमसभा से पूर्व सभी अधिवक्ताओं ने शहर के महलों के चौक से सदर बाजार होते हुए नए बस स्टैंड और कालिजारी गेट से फुलिया गेट तक शांतिपूर्ण वाहन रैली निकालकर लोगों को जिला रहने का महत्व बताया एवं शाम छह बजे घरों में ताली और ताली बजाकर तथा आठ बजे घरों की लाइट बंद कर ब्लैक आउट मनाने की अपील की।

आम सभा महलों के चौक में विभिन्न गांव से आए लोगों, किसानों, ग्रामीणों ने शाहपुरा को वापस जिला बनाने की मांग के समर्थन में रैली निकाली। इस आमसभा में करीब 7 - 8 हजार लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के शहर काजी सैयद शराफत अली, मौलाना निसार मोहम्मद, विश्व हिंदू परिषद के रामेश्वर लाल धाकड़, बजरंग दल के हनुमान धाकड़, संघर्ष समिति के रामेश्वर लाल सोलंकी, अभिभाषक संस्था के उपाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह राणावत, सचिव वीरेंद्र पथरिया, कोषाध्यक्ष तेजप्रकाश पाठक, पुस्तकालय अध्यक्ष दीपक मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकचंद नौलखा, नरेंद्र रेगर, पीसीसी सदस्य संदीप जीनगर, दुर्गा बैरवा, रेगर समाज अध्यक्ष रतनलाल मुंडेतिया, विप्र समाज अध्यक्ष अंकुर ओझा, माहेश्वरी समाज के कृष्ण गोपाल मुंदडा, अग्रवाल समाज के शंकर अग्रवाल, जैन समाज अंबेडकर विचार मंच यातायात सलाहकार समिति प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन राजेंद्र बोहरा रामस्वरूप खटीक सहित कई मंचासीन रहे।

## लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में जांच शुरू

- सीबीआई टीम जोधपुर पहुंची और जांच शुरू की
- अलग-अलग स्थानों पर टीम की तरफ से पड़ताल किए जाने के साथ बयान लेने के साथ सबूत जुटाए जा रहे हैं

**जोधपुर,** (कासं)। शहर के बहुचर्चित लवली कंडारा एनकाउंटर केस में अब सीबीआई जांच आरंभ हो गई है। मंगलवार को सीबीआई की टीम जोधपुर पहुंची और जानकारी जुटानी शुरू की। नौ जनवरी को सीबीआई की तरफ से तत्कालीन पुलिस अधिकारी एवं जवानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम जोधपुर पहुंची। अलग-अलग स्थानों पर टीम की तरफ से पड़ताल किए जाने के साथ बयान लेने के साथ सबूत जुटा रही है। समाचार पत्रों और टेलीविजन पर उस वक्त चले कवरेज से भी कड़ी से कड़ी से जोड़ रही है। पुलिस ने मामले को एनकाउंटर करार दिया था। दिल्ली स्पेशल पुलिस के डिप्टी एसपी मोहिन्दर सिंह के निर्देशन में यह जांच आरंभ की गई है। प्रकरण के अनुसार इसमें रातानाडा थाने के तत्कालीन एसएचओ लीलाराम, कांस्टेबल जितेन्द्र सिंह, किशन सिंह, विश्वास और अंकित को आरोपी बनाया गया है। जानकारी के अनुसार लवली कंडारा के परिजनों और रिश्तेदारों ने एनकाउंटर केस में सीबीआई जांच की मांग की थी। पुलिस पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया था।

**युवक की मौत :** गंगापुर सिटी के समीपवर्ती विनेगा गांव में टेंट हाउस की दुकान में काम करने वाले युवक की करंट से झुलसने से मौत हो गई। युवक दो साल से बिनेगा गांव स्थित टेंट हाउस पर काम कर रहा था। टेंट लगाते समय वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हादसे के बाद लवकुश मीणा (22) को साथ के युवक गंगापुर सिटी के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।


**कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर**

क्रमांक :- राजकाज 13233154 दिनांक :- 27/01/2025

**ई-निविदा सूचना संख्या - मुख्यालय (पूल)/40/2024-25**

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से निर्धारित प्रपत्र मे ई- प्रोक्युमेन्ट प्रकिया से निम्न कार्य हेतु (संविदा पर आपूर्ति के तहत) ऑनलाईन बिड आमत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्तें आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in, www.jodhpurjda.org, www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

NIB CODE :- JOD2425A0156

Tender ID/UBN No. :- JOD2425WSOB00340

राज.संवाद/सी/24/10910 अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय)

**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता मुरलीपुरा जोन नगर निगम, ग्रेटर जयपुर**

मुरलीपुरा स्कीम, सब्जी मण्डी, जयपुर

क्रमांक :- ज.स.अ./2024/234 दिनांक :- 27/01/2025

**ई-निविदा सूचना संख्या 26-35/2024-25**

केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत "एए" व "ए" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न विकास कार्यों की निविदा आमंत्रित की जाती हैं। कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की Web Site www.jaipurmc.org पर देखी व Download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकेगीं।

UBN No. JMC2425WSOB01182 To 01193

राज.संवाद/सी/24/10918 अधिशाषी अभियन्ता (मुरलीपुरा जोन), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

**कार्यालय नगर निगम, अजमेर**

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान)

दूरभाष-0145-2429953, फैक्स-0145-2433813, Email - ajmermc@gmail.com, ajmermc@rajasthan.gov.in Website - www.lsg.urban.rajasthan.gov.in/mcajmer, www.ajmermc.org

क्रमांक :- MEW/2024-25/4139 दिनांक :- 24.01.2025

**निविदा सूचना सं0 48/2024-25**

नगर निगम अजमेर द्वारा विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों तथा नगर निगम अजमेर में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से 01 कार्य (गांधी भवन पार्क के पास पार्किंग स्थल पर चैन पाईप लगाने का कार्य) हेतु कुल राशि 1.35 लाख रूपये की निविदा आमंत्रित की जाती हैं जो प्रकाषन दिनांक से 30.01.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक विक्रय की जाकर दिनांक 31.01.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जाकर दिनांक 31.01.2025 को दोपहर 3.30 बजे उपस्थित संवेदको के समक्ष खोली जावेगी। कार्यो की विस्तृत जानकारी वेब पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

NIB No Code :-ANN2425A0182

UBN No. :-ANN2425SSOB00300

राज.संवाद/सी/24/10942 अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम अजमेर

**Rajasthan State Council of Educational Research and Training**

111, SAHELI MARG, UDAIPUR (Raj.) Pin 313001, Telephone : 0294-2415171

E-mail:- director.rscert@rajasthan.gov.in

No. F-RSCERT-UDR/Acct./2024-25/632 Date :- 28/01/2025

**NOTICE INVITING E-BID**

**FOR HIRING AN ASSESSMENT AGENCY IN RSCERT, UDAIPUR**

**(NIB No. 9/2024-25 ) NIB Code SCE2425A0009**

Single Stage Two-envelopes unconditional online Bids are invited on behalf of the Governor of Rajasthan for Hiring an assessment Agency in Rajasthan State Council of Educational Research and Training, Udaipur. The estimated cost of the required services is Rs. 1.22 crore (in words one crore twenty two lakh only). All interested bidders should submit the required documents and DD/Banker's cheque until 17 February 2025, 1:00 PM. All the terms and conditions for participating in the bid can be seen and downloaded from **https://sppp.rajasthan.gov.in, https://eproc.rajasthan.gov.in.**

UBN: SCE2425SLOB00011

निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर

Raj.Samwad/C/24/10957


# चार हजार की रिश्वत लेते प्राईवेट व्यक्ति गिरफ्तार

आरोपी प्राईवेट व्यक्ति

- जानकारी में पता लगा कि वह तहसीलदार एवं रीडर के नाम से रिश्वत ले रहा था

**जोधपुर,** (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को जोधपुर जिले के पीपाड़ तहसील कार्यालय में एक प्राइवेट व्यक्ति को चार हजार की रिश्वत लिए जाने के आरोप में पकड़ा है। अब तक जानकारी में पता लगा कि वह तहसीलदार एवं रीडर के नाम से रिश्वत ले रहा था। परिवादी की एक रजिस्ट्री संशोधन के नाम पर यह रिश्वत ली गई।

ब्यूरो के ग्रामीण एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि जोधपुर जिले के तहसील कार्यालय पीपाड़ सिटी में दलाल का चार हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी की जोधपुर शहर ईकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि तहसील कार्यालय पीपाड़ सिटी जिला जोधपुर में परिवादी की रजिस्ट्री में संशोधन करवाने की एवज में आरोपी द्वारा रीडर व तहसीलदार के नाम से चार हजार रूपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर डीआईजी हरेन्द्र महावर के सुपरविजन में एएसपी चक्रवर्ती सिह राठौड़ के नेतृव में ट्रेप अधिकारी उपाधीक्षक किशनसिंह चारण एवं निरीक्षक सुनिता कुमारी ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेन्द्र मुन्दियाडा उर्फ जिताराम को रीडर व तहसीलदार के नाम से चार हजार रूपए रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एएसपी राठौड़ ने बताया कि तहसीलदार पीपाड़ सिटी व उनके रीडर की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी।

## तस्कर गिरफ्तार

**करौली,** (नि.सं.)। करौली पुलिस ने ऑपरेशन स्मैक आउट के तहत स्मैक तस्करी के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने धोबी दह चोर खिड़कियां के रहने वाले आकाश माली 23 को पकड़ा है। थानाधिकारी सुनील कुमार के अनुसार पुलिस टीम जब मासलपुर दरवाजा के बाहर गश्त कर रही थी, तब एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे घेर कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 5 ग्राम 95 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 लाख 10 हजार रुपए आंकी गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी महवा से करौली में स्मैक की सप्लाई करने आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ स्मैक तस्करी का मामला दर्ज कर लिया है और अब स्मैक तस्करी में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाने के लिए आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।

# हथियार सहित गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा

## आरोपियों के खिलाफ अनेक मामले दर्ज हैं

**सादुलपुर,** (निसं)। राजगढ़ कस्बे में बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम देने के मामले में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने तीन दिन के रिमांड के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

थाना अधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि जेल भेजे गये आरोपी हनुमान बांवरी पुत्र मनफूल बांवरी निवासी आईआईटी कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को एक देशी कट्टा मय दो जिंदा कारतूस सहित तथा आरोपी सज्जन कुमार पुत्र हंसराज कुम्हार निवासी अमरपुरा तहसील अबोहर पुलिस थाना भाववाला जिला फाजिल्का पंजाब को एक पिस्टल मय एक जिंदा कारतूस सहित तथा तीसरे आरोपी मुकेश कुमार उर्फ भीम पुत्र साधुराम नाई निवासी वार्ड नं. दो नन्दा कॉलोनी नोहर पुलिस थाना नोहर हाल उधमसिंह चौक संगरिया जिला हनुमागनढ़ को गिरफ्तार किया था। जिनमें गिरफ्तार आरोपी हनुमान बावरी हनुमानगढ़ पुलिस थाने का हिस्ट्रीशीटर है तथा आरोपी के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी के अलावा आर्म्स एक्ट, हत्या, लूट व डकैती के दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अन्य दोनों आरोपियों के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।


राजस्थान सरकार

**कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान**

आबकारी भवन2-गुनियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001

क्रमांक-F.32(B)(1)(AP)EX/L/2024-25-03000 part(6)/1462 दिनांक-28.01.2025

**पडत मदिरा की रिटेल ऑफ कम्पोजिट दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना-**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2024-25 के अनुसार पडत रही कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया से बन्दोबस्त करने हेतु निम्नानुसार ई-निविदाऐं आमंत्रित की जाती है-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | निविदा दस्तावेज ऑनलाईन डाउनलोड करने की दिनांक व समय | दिनांक 29.01.2025 दोपहर 3.00 बजे से |
| 2 | निविदा दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय | दिनांक 31.01.2025 दोपहर 3.00 बजे तक |
| 3 | वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक, समय, व स्थान | दिनांक 31.01.2025 को दोपहर 4.00 बजे से संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय |

**ई-निविदा में भाग लेने की शर्ते-**

1. यह निविदा वेबसाईट https://www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। उक्त निविदाएं वेबसाईट https://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत की जानी है। ई-निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में लॉगिन/साइन करने हेतु काम में आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए (CCA) द्वारा द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हें नया सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
2. देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की कम्पोजिट दुकानों का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, अनुमानित गारण्टी राशि, अमानत राशि, धरोहर राशि, पंजीकरण शुल्क का विवरण विभागीय वेबसाईट https://exeise.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
3. ई-निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मदिरा दुकान का फार्म डाउनलोड करके फार्म के साथ प्रक्रिया शुल्क, आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि के चालान राजकोष में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा करवाकर चालानों की प्रति अपलोड करनी होगी। इन राशियों के जमा नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को निम्नलिखित राशियां उनके सामने उल्लेखित राजकोष मद में जमा करवानी होगी-

| क्र.सं. | विवरण | राशि (रूपये में) | राजकोष लेखा मद |
|---|---|---|---|
| 1 | RISL की प्रक्रिया/ पंजीकरण शुल्क | रू. 2000/- | 8658-00-102-(16)-01 (सिविल विभाग) |
| 2 | आवेदन शुल्क | निविदा के संबंध में जारी दिशा-निदेश एवं शर्तो की शर्त संया 6.11 के अनुसार रू. 10,000/- से लेकर रू. 20,000/- तक (अनुमानित गारण्टी राशि के अनुसार) | 0039-00-501-01-00 (आवेदन शुल्क) |
| 3 | अमानत राशि | अनुमानित गारण्टी राशि की 2 प्रतिशत | 8443-00-103-00-00 (प्रतिभूति जमा) |

ई-प्रोक पोर्टल से प्रक्रिया शुल्क, निविदा शुल्क एवं अमानत राशि का एक चालान जनरेट करने पर लेखा मद 0075-00-800-52-01 (निविदा प्रपत्र शुल्क) में राशि रू. एक रूपया जमा करवाकर आवेदन शुल्क का चालान पृथक से राजकोष में मद 0039-00-50-00-00 में किया जा सकता है।

4. अनुमानित गारण्टी राशि से कम राशि की निविदा प्राप्त होने पर स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्टार से निर्णय लिया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने के समस्त अधिकार आबकारी आयुक्त को होंगे।
5. स्वीकृत निविदादाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक गारण्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-निविदा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तो जो विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है के अनुसार जमा करानी होगी।
6. निर्धारित समय में वांछित राशियाँ यथा धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
7. मदिरा दुकानों के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-निविदा में भाग ले सकेंगे, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, आबकारी नीति वर्ष 2024-25 तथा प्रारूप अनुज्ञापत्र इत्यादि https://excise.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, जिनका ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
8. ई-निविदा के संबंध में अन्य प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेंगे।
9. ई-निविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायिक क्षेत्र संबंधित जिला ही रहेगा।

UBN-EXC2425GLOB00172

(शिवप्रसाद नकाते) आबकारी आयुक्त, राजस्थान

DIPR/C/_____/2025


# राजस्व मंडल में 22 कार्मिकों की पदोन्नति

**अजमेर,** (कासं)। राजस्व मंडल में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा से 22 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है, जिनमें छह कार्मिक संस्थापन अधिकारी तथा 16 कार्मिक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए गए हैं।

राजस्व मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि संस्थापन अधिकारी बने कार्मिकों में महेंद्र सिंह गौड़, निरंजन, विशन सिंह राठौड़, कमला चांदवानी, जगतनारायण पारीक व राजेंद्र चौधरी शामिल हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों में करम सिंह चौहान, ललिता साहू, दीपेंद्र शर्मा, विनोद प्रकाश मालाकार, राधेश्याम शर्मा, रामेश्वर लाल जाट, निशा गुप्ता, दयानंद कुमावत, मधुसूदन भाटी, मुकेश कुमार पांडेय, नवनीत कुमार माहेश्वरी, विक्रम भारती, अर्जुन यादव, भैरूराम वर्मा, अजय कुमार व टीकमचंद दीदावत शामिल हैं। सभी पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन भी कर दिया गया है।

# हादसे में पिता-पुत्री की मौत

**पाली,** (निसं)। पाली में मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रोला अनियंत्रित होकर बाइक पर गिर गया। हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्री की कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाये गये हैं।

गुंदोज चौकी प्रभारी चंपालाल प्रजापत ने बताया कि हादसा पाली जिले के गुड़ा एंदला थाना एरिया के किरवा के निकट पेट्रोल पंप के पास मंगलवार दोपहर में हुआ। मोड़ पर अनियंत्रित होकर सोलर प्लेट्स से भरा ट्रोला सड़क किनारे चल रहे बाइक सवार पिता-पुत्री पर पलट गया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गुड़ा एंदला थाने के किरवा गांव निवासी 45 साल के मांगीलाल पुत्र हिमताराम मीणा और उनकी बेटी ललिता के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पिता-पुत्री मजदूरी का काम करते थे। काम खत्म होने पर दोनों बाइक से घर आ रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए।

## अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

**अजमेर,** (कासं)। पुलिस थाना नसीराबाद सदर ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नसीराबाद बाइपास के पास एक कार से 954 ग्राम अफीम जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उप महानिरीक्षक अजमेर रेंज ओमप्रकाश के निर्देशानुसार और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी अशोक बिशु के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस ने नसीराबाद बाइपास सरहद दिलवाड़ी पर एक कार को रोककर तलाशी ली।

कार से 954 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। इस दौरान कार चालक परविंद्र सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह और खलासी सीट पर बैठे जगरूप सिंह पुत्र दिलीप सिंह दोनों निवासी तलवंडी साबो, जिला भटिंडा, पंजाब को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। थाना अधिकारी अशोक बिशु ने बताया कि मामले मे तस्करी के नेटवर्क को खंगालने के लिए गहन अनुसंधान किया जा रहा है।

# टैंकरों से केमिकल चोरी करने वाले चालक व खरीददार गिरफ्तार

पुलिस ने केमिकल चोरी के मामले में कार्रवाई की।

- दो टैंकर वाहन, केमिकल चोरी करने में प्रयुक्त जनरेटर मय टैंपो जब्त
- टैंकरों से निकाले गए केमिकल में उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर कंपनी को धोखा दे रहे थे

**पावटा,** (निसं)। टैंकरों से केमिकल चोरी करने वाले चालकों व खरीददारों के खिलाफ भाबरु थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक टैंकर चालक सहित माल खरीददार एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया है। वहीं दो टैंकर वाहन, केमिकल चोरी करने में प्रयुक्त जनरेटर मय टेंपो जब्त किये।

जिला पुलिस अधीक्षक कोटपूतली बहरोड राजन दुष्यंत ने जानकारी देते हुए बताया कि भाबरु थाना प्रभारी जयसिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए केमिकल से भरे हुए दो टैंकरों व जनरेटर मय टेंपो एवं पानी की मोटर मय पाइप को जप्त कर एक टैंकर चालक गोविंद सिंह पुत्र भैरू सिंह निवासी रेडियाखेड़ी पुलिस थाना मावली जिला उदयपुर व खरीददार स्थानीय युवक यूसुफ अली उर्फ बबलू पुत्र अब्दुल करीम उर्फ कालू निवासी सब्जी मंडी के पीछे गांधीनगर तन केरली पुलिस थाना भाबरु दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।

वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा राजावत ने बताया कि 25 जनवरी को एनएच 48 पर टैंकरों से केमिकल चोरी होने की सूचना पर टैंकर चालक गोविंद सिंह को मय टैंकर पकड़ लिया। वहीं दूसरा टैंकर चालक बालूसिंह फरार हो गया। दोनों टैंकर उदयपुर से केमिकल भर पंजाब व हरिद्वार जा रहे थे एवं चालक स्थानीय युवक यूसुफ अली उर्फ बबलू से मिलकर रास्ते में तरल केमिकल निकालते समय चोरी के उपकरणों सहित पुलिस द्वारा पकड़े गए। यह शातिर चोर टैंकरों से निकाले गए केमिकल में उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर कंपनी को धोखा दे रहे थे। फरार मुल्जिम बालू सिंह की तलाश जारी है।

## ट्रेन की चपेट में आने से 55 मवेशियों की मौत

**बीकानेर,** (निसं)। खारा गांव में ट्रेन से कटकर 55 मवेशियों की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे 4-5 जेएमडी स्थित खेत में भेड़-बकरियों को चराते समय हुआ। सुबह साढ़े दस बजे ये भेड़-बकरियां लूणकरणसर से बीकानेर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गई।

हादसा भींवसिंह के खेत में ही हुआ, जहां से ट्रेन की पटरियां गुजरती है। कहीं से दो-तीन श्वान भेड़ों की ओर झपट पड़े, भेड़ों ने दौड़ना शुरू कर दिया। श्वान भी उनके पीछे दौड़े। इस भागादौड़ में कुछ भेड़-बकरियां पटरियों पर चली गईं और तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गई।

हादसे में 39 भेड़, 15 बकरियां और एक गधे सहित 55 मवेशियों की मौत हो गई। हादसे के बाद मवेशियों की लाशें पटरी के दोनों और बिखर गई।

सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी बीकानेर के आदेश पर हल्का भू निरीक्षक अनवर अली ने मौके पर पहुंचकर फर्द रिपोर्ट तैयार की है। भाजपा बीछवाल मंडल के महामंत्री गजेसिंह ने विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल से फोन पर वार्ता कर पीड़ित को मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में दो बार जिला कलेक्टर से वार्ता की।